।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372—252175

पत्रांक 3558 / 12—1 ,गोपेश्वर, दिनांक 24/01 2024।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

विषयः— जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं।

1— प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की पिलर बंदी नहीं की गयी है। जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लग रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का भू—चिन्हांकन व पिलरबंदी सम्पूर्ण लम्बाई में मानक के अनुसार करें ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की संख्या पता लगे व कम से कम वृक्षों की क्षति हो। पिलर बंदी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न किया जाये तथा वैकल्पिक संरेखण का भी पुनः परीक्षण करें।

2— प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार संधारित किया जाये।

क— प्रस्तावक विभाग 25मी0 की दूरी पर प्रत्येक पिलरों का रिकॉर्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलरों की दूरी अवश्य अंकित की जाये।

ख— वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों (प्रजातिवार, व्यास वर्गवार), भूमि (आरक्षित, सिविल, पंचायती, नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।

3— प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.31 है0 सिविल भूमि तथा 1.322 है0 वन पंचायत में लिया गया है। मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया जाये।

4— पूर्व निर्मित सिमली सणकोट मोटर मार्ग (8.8 किमी0) से नाखोली की दूरी लगभग 02किमी0 बताया गया है। प्रस्तावित मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाये।

अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन करने के पश्चात् आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 3558 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ को उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रस्तावक विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा नियमानुसार पिलर बंदी करने के पश्चात् प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना कर वृक्षों की गणना सूची प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

01